भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 6440

जिसका उत्तर 02.04.2026 को दिया जाना है

ई-परिवहन मिशन मोड परियोजना का क्रियान्वयन

6440. श्री दिलीप शइकीया:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री राजकुमार चाहर:
श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:
श्री बिभु प्रसाद तराई:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई-परिवहन मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत परिवहन संबंधी कितनी सेवाएं लाई गई हैं और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में इन्हें कितनी संख्या में अपनाया गया है;

(ख) वर्तमान में वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, करों का संग्रहण और परमिट संबंधी सेवाओं सहित फेसलेस अथवा संपर्क रहित डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से कौन-कौन सी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ग) आधार प्रमाणीकरण, ईकेवाईसी, डिजिटल हस्ताक्षर और ए आई आधारित चेहरे की पहचान के उपयोग सहित उक्त प्लेटफार्म में कौन-कौन सी तकनीकी विशेषताएं शामिल की गई हैं;

(घ) उक्त प्लेटफॉर्म पर सरकार-से-सरकार, सरकार से व्यवसाय और सरकार से नागरिक सेवाओं के एकीकरण के लिए उक्त मंच के अंतर्गत विकसित किए गए संस्थागत ढांचे का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परिवहन क्षेत्र में नागरिकों और स्टेकहोल्डरों के लिए सेवा प्रदायगी दक्षता, पारदर्शिता और पहुंच को आसान बनाने संबंधी उक्त पहल का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने का.आ. 4353(अ), दिनांक 16 सितंबर, 2022 के माध्यम से स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण के जरिए परिवहन संबंधी 58 ऑनलाइन सेवाओं को अधिसूचित किया है। ई-ट्रांसपोर्ट मिशन मोड परियोजना के तहत ऑनलाइन और डिजिटल प्रमाणीकरण तंत्रों की ओर बदलाव का उद्देश्य दक्षता, पारदर्शिता बढ़ाना और निवासियों

के जीवन को सुगम बनाना और नागरिकों को सेवाओं तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने के साथ ही नागरिकों के स्वयं (फिजीकली) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में जाने की आवश्यकता को कम करना है।

मोटर यान अधिनियम, 1988 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य की सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन सेवाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपनाने की सूची **अनुलग्नक-क** में संलग्न है।

अनुलग्नक-क

'ई-परिवहन मिशन मोड परियोजना का क्रियान्वयन' के संबंध में श्री दिलीप सैकिया, श्रीमती शोभनाबेन महेंद्रसिंह बरैया, श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, श्री विद्युत बरन महतो, श्री जीएम हरीश बालयोगी, श्रीमती कमलेश जांगड़े। श्री लुंबरन चौधरी, श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी, श्री दिनेशभाई मकवाना, श्री राजकुमार चाहर, श्री माधवनेनी रघुनंदन राव और श्री बिभू प्रसाद तराई द्वारा 02.04.2026 को पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 6440 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्य	वाहन सेवाओं की संख्या	सारथी सेवाओं की संख्या	ऑनलाइन सेवाओं की कुल संख्या
अंडमान और निकोबार	21	19	40
आंध्र प्रदेश	21	11	32
अरुणाचल प्रदेश	2	1	3
असम	20	22	42
बिहार	19	26	45
चंडीगढ़	19	22	41
छत्तीसगढ	18	16	34
दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र	18	10	28
दिल्ली	19	14	33
गोवा	21	27	48
गुजरात	19	20	39
हिमाचल प्रदेश	22	18	40
हरियाणा	15	16	31
झारखंड	14	0	14
जम्मू और कश्मीर	20	24	44
कर्नाटक	15	14	29
केरल	17	12	29
लद्दाख	15	1	16
लक्षद्वीप	1	0	1
महाराष्ट्र	21	23	44
मेघालय	8	5	13
मणिपुर	10	15	25
मध्य प्रदेश	22	25	47

मिजोरम	11	1	12
नागालैंड	2	0	2
ओडिशा	19	13	32
पंजाब	11	13	24
पुदुचेरी	7	8	15
राजस्थान	17	17	34
सिक्किम	2	10	12
तेलंगाना*	0	0	0
तमिलनाडु	21	18	39
त्रिपुरा	10	10	20
उत्तराखंड	9	0	9
उत्तर प्रदेश	20	26	46
पश्चिम बंगाल	20	9	29

नोट* - तेलंगाना राज्य को हाल ही में वाहन 4 और सारथी 4 में स्थानांतरित किया गया है।
